तरक्की को चाहिए नया नजरिया

**रजनीकांत की अपील**

सुपरस्टार रजनीकांत ने कावेरी विवाद पर तमिलनाडु में हो रहे प्रदर्शन के बीच चेन्नई सुपरकिंग्स टीम से काली पट्टी बांधकर मैच खेलने की अपील की।

सोमवार, 09 अप्रैल 2018, बरेली, पांच प्रदेश, 20 संस्करण, नगर | www.livehindustan.com | वर्ष 9, अंक 83, 16 पेज, मूल्य 4.00 रुपए, वैशाख शुक्ल अष्टमी, वि.सं. 2075



कॉन्फ्रेंस में सुन्नी बरेलवी मसलक के 100 उलेमा के पैनल ने सुनाया शरई फैसला

# मस्जिदे हरम-नबवी में सजदे की जगह से निकलना नाजायज

बरेली | कार्यालय संवाददाता

बरेलवी मसलक के उलेमा ने सऊदी अरब की बड़ी मस्जिदे हरम और नबवी जैसी तमाम बड़ी मस्जिदों के लिए शरई फैसला सुनाया है। मथुरापुर के इस्लामिक स्टडी सेंटर में चली रही तीन दिवसीय फिकही कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसमें 100 उलेमा के पैनल ने शरई रोशनी में यह साफ कर दिया है कि छोटी मस्जिदों में बिना किसी आड़ के किबला की दीवार तक नमाजी के आगे से गुजरना नाजायज और सख्त गुनाह है।

बड़ी मस्जिद में सजदे की जगह के बाहर से निकलना जायज है मगर सदजे वाली जगह से निकलना नाजायज है। यानी बड़ी मस्जिद में कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसके सजदे वाली जगह से गुजरना ठीक नहीं है। सजदे वाली जगह को छोड़ सामने से गुजरा जा सकता है। जमात रजा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन खा कादरी ने कहा कि शरई काउंसिल ऑफ इंडिया के पन्द्रहवें फिकही सेमिनार में शरई मसले पर उलेमा ने अपनी राय दी है।

शहर काजी मौलाना असजद रजा खां कादरी ने तमाम सवालों को मुफ्ती अख्तर रजा खान को दिया। उन्होंने तसदीक करने के बाद जवाब दिया है कि छोटी मस्जिदों में पहले से ही नमाजी के आगे से गुजरने की मनाही है। नबवी और हरम जैसे तमाम मस्जिदों में भी यह फैसला लागू होगा। सलमान मियां के मुताबिक उलेमा ने यह साफ कर दिया है कि सजदे की जगह को छोड़कर नमाजी के आगे से गुजरने की इजाजत बड़ी मस्जिदों में है। यह बड़ी मस्जिदें वो हैं जिसमें हजारों की तादाद में नमाज अदा की जाती है।

फैसला ताजुशरिया मुफ्ती अख्तर रजा खां उर्फ अजहरी मियां की सरपरस्ती व शहर काजी असजद रजा खां कादरी की सदारत में हुआ। मुफ्ती शब्बीर हुसैन रौनाही, बुरहान रजा खान, मुफ्ती शमशाद हुसैन आदि मौजूद रहे।

**फैसला**

- मथुरापुर के इस्लामिक स्टडी सेंटर में चली रही कॉन्फ्रेंस
- मस्जिद को लेकर शरई रोशनी में उलेमा ने किया साफ

**देश भर की सुन्नी बरेलवी दारूल इफ्ता में देंगे सूचना**

उलेमा के पैनल ने जो फैसला लिया है उन फैसलों की एक-एक कॉपी देश भर की सुन्नी बरेलवी दारुल इफ्ता में भेजी जाएगी। ताकि वहां के लोग इन फैसलों के मुताबिक ही अपनी राय देंगे। जमात रजा-ए-मुस्तफा के उपाध्यक्ष सलमान हसन खां बोले, देश और विदेश की तमाम मस्जिदों में भी फैसले की सूचना भेजी जाएगी।



# डिजिटल करेंसी को बताया नाजायज

**सुन्नी बरेलवी मसलक**

बरेली | कार्यालय संवाददाता

बरेलवी मसलक के आलिमों ने बिट क्वाइन (डिजिटल करेंसी) कारोबार को गैर इस्लामी बताते हुए नाजायज करार दिया। इस बारे में देश-विदेश से पूछे गए सवालों पर मंथन के बाद 100 सर्वोच्च मुफ्तियों के पैनल ने शरई फैसला सुनाया है। रविवार को तीन सवालों पर ताजुशरिया मुफ्ती अख्तर रजा खां उर्फ अजहरी मियां मुहर लगाएंगे।

जिन मसलों पर मुसलमानों में भ्रम के हालात बने रहते थे, उन्हें उलेमा-ए-दीन शरई रोशनी में सुलझा रहे हैं। मथुरापुर स्थित इस्लामिक स्टडी सेंटर में मुफ्ती अख्तर रजा खां की सदारत वाली शरई कांउसिल ऑफ इंडिया के 15वें सालाना फिकही सेमिनार में दुनियाभर से पूछे गए तीन सवालों पर बहस हुई है। पहले सवाल डिजिटल करेंसी पर उलेमा ने फैसला सुनाया है। मुफ्तियों के पैनल में शामिल मुफ्ती शमशाद रजवी ने कहा कि यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में डिजिटल करेंसी का रिवाज बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, सेमिनार में यह तय किया गया है कि बिट क्वाइन शरीयत की नजर में माल नहीं है। इसलिए डिजिटल करेंसी को खरीदना और बेचना नाजायज है। शरीयत की नजर में करेंसी वो है, जिसको हम देख, छू और पकड़ सकें। उलेमा के पैनल ने बताया कि दुनियाभर से इस मामले में सवाल पूछे गए थे।

**मरकज के शीर्ष उलेमा का पैनल :** जमात रजा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन खां कादरी उर्फ सलमान मियां ने बताया कि ताजुशरिया मुफ्ती अख्तर रजा खां, मौलाना असजद रजा खां, जियाउल मुस्तफा कादरी, मुफ्ती अख्तर हुसैन, मुफ्ती शब्बीर हसन, मुफ्ती हुजैर आलम, मुफ्ती रफीक आलम, मुफ्ती शहजाद रजा, मुफ्ती बाहुल मुस्तफा सहित 100 उलेमा का पैनल बनाया गया है। दुनिया भर से पूछे गए सवालों पर शरई रोशनी डाली गई है। रविवार उलेमा इन मसाइल मस्जिद हरम, नबवी जैसी तमाम बड़ी मस्जिदों में नमाजी के आगे से गुजरने और नीलामी के तहत खरीदी गई चीजें जायज है या नहीं, फैसला सुनाएंगे।

**फैसला सुनाया**

- मसलक के सर्वोच्च मुफ्ती पैनल ने शरई मामले में किया मंथन
- दुनिया भर से पूछे गए सवाल पर आलिमों ने सुनाया शरई फैसला

**सौ साल पहले जायज करार दी कागज की करेंसी**

ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जब कागज की करेंसी ने जोर पकड़ा तो मुसलमानों के बीच भ्रम फैल गया कि ऐसा जायज नहीं है। इस पर एक-दो फतवे भी आ गए। यह सवाल आला हजरत इमाम अहमद रजा खां के सामने भी आया था। आला हजरत ने इस मसले पर 144 पेज की किताब लिखकर तमाम हवाले दिए और आखिर में साफ कर दिया कि कागज के नोट जायज हैं। इन पर जकात भी बनेगी। मुफ्तियों के मुताबिक आला हजरत ने इस किताब को 19 मार्च 1906 में लिखा था। आला हजरत उस समय हज पर गए थे। वहां उनसे मक्का के आलिम ने करेंसी नोट को लेकर 12 सवाल किए थे।



# डिजिटल करेंसी पर उलेमा का मंथन

बरेली | कार्यालय संवाददाता

मथुरापुर स्थित इस्लामिक स्टडी सेंटर जमिआतुर्रजा में शुक्रवार को सेमिनार का आयोजन हुआ। देश-विदेश से आए आलिम ने कई मसलों पर दीनी मशवरा देंगे। 100 उलेमा का पैनल तमाम सवालों के जवाब तैयार कर ताजुशरिया मुफ्ती अख्तर रजा खां उर्फ अजहरी मियां के सामने रखेंगे।

उलेमा इन मसाइल (सवाल) मस्जिद हरम, नबवी में नमाजी के आगे से गुजरने, डिटिल करेंसी और नीलामी के तहत खरीदी गई चीजें जायज है या नहीं इस पर शरई फैसला सुनाएंगे।

**सेमिनार**

- इस्लामिक स्टडी सेंटर जमिआतुर्रजा में आयोजित सेमिनार
- तमाम सवालों पर 100 उलेमा का पैनल देगा दीनी फैसला

ताजुशरिया मुफ्ती अख्तर रजा खां कादरी उर्फ अजहरी मियां की सरपरस्ती में शहर काजी मौलाना असजद रजा खां कादरी की सदारत में मथुरापुर स्थित इस्लामिक स्टडी सेंटर की हमीदी मस्जिद में जश्ने खत्मे बुखारी शरीफ शानो शौकत से मनाया। इस मौके पर 15वां सालाना सेमिनार का आगाज हुआ। जियाउल मुस्तफा कादरी अमजदी ने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ाई और उसकी फजीलत पर रोशनी डाली। उलेमा ने कहा कि बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे अहम किताब है। जमात रजा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान हसन खान कादरी ने कहा कि जश्ने बुखारी शरीफ का आयोजन कामयाब रहा। उलेमा के पैनल में श्रीलंका से आए मौलाना बाबू रजा सहित मुफ्ती साबिर हसन, मुफ्ती आशिकुर्रहमान इलाहाबाद, मुफ्ती शमशाद, मुफ्ती अख्तर हुसैन साहिब काजी शहर अंबेडकर नगर आदि शामिल रहेंगे।

# डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल शरीयत में नाजायज

## मथुरापुर के इस्लामिक स्टडी सेंटर में चल रही फिकही कॉन्फ्रेंस में बरेलवी मसलक के उलमा ने किया बड़े फैसले का एलान

**अमर उजाला ब्यूरो**

बरेली।

केंद्र सरकार की डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने की कोशिशों को नकारते हुए उलमा ने इसे नाजायज करार दिया है। इससे पहले बरेलवी मसलक के ताजुश्शरिया अल्लामा अजहरी मियां की ओर से बुलाई गई फिकही कॉन्फ्रेंस में शनिवार को उलमा और दानिशवरों के बीच इस मुद्दे पर लंबी बहस हुई। इस दौरान सवाल उठे कि डिजिटल करेंसी का शरई दर्जा क्या है, यह संपत्ति है भी या नहीं और इसका लेनदेन जायज है या नहीं। ज्यादातर उलमा ने डिजिटल करेंसी को हर सवाल पर खारिज कर दिया।

### उलमा के फैसले पर आज लगेगी ताजुश्शरीया की मुहर

डिजिटल करेंसी को नाजायज करार देने का फैसला मथुरापुर स्थित इस्लामिक स्टडी सेंटर जमीयतुर्रजा में चल रही 'फिकही कॉन्फ्रेंस' में देश-विदेश के लगभग सौ उलमा ने शरीयत की रोशनी में एकराय होकर लिया। इसका खुलासा घोसी से आए जामिया अमजदिया के संस्थापक मुफ्ती जियाउल मुस्तफा अमजदी ने प्रेसवार्ता में किया। उन्होंने फैसले के पक्ष में रखे गए तर्क के संबंध में बताया कि डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी (बिट क्वाइन आदि) भौतिक तौर पर मौजूद नहीं है। इसका सारा लेनदेन नेट के माध्यम से बर्की खाता (एयर एकाउंट) के जरिए होता है। ये संपत्ति की हैसियत में नहीं होता। शरीयत की नजर में इसकी माद्दी हैसियत नहीं है। इसलिए जब डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी संपत्ति नहीं है तो इसका लेन-देन तथा खरीद-फरोख्त नाजायज है। इसका एक पहलू यह भी है कि डिजिटल करेंसी के पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है, न हुकूमत न बैंकिंग। नोट अगर बंद हो जाए तो हुकूमत उतना ही पैसा उपलब्ध कराती है। मगर यह करेंसी अगर कोई कंपनी लेकर भाग जाए या बंद हो जाए तो उस पैसे का कौन जिम्मेदार होगा। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया।

इस पर फैसला लेने वाले उलमा में मुफ्ती जियाउल मुस्तफा के अलावा जानशीने ताजुश्शरीया शहर काजी मौलाना असजद रजा खां कादरी, श्रीलंका के मौलाना बाबू रजा, अंबेडकर नगर के शहर काजी मुफ्ती अख्तर हुसैन, इलाहाबाद के मुफ्ती शब्बीर हसन, मुंबई के शहर काजी मुफ्ती महमूद अख्तर, मुफ्ती उजैर आलम, मुफ्ती रफीक आलम, मुफ्ती शहजाद रजा, मुफ्ती बहाउल मुस्तफा, मुफ्ती आलमगीर आदि शामिल रहे। प्रेसवार्ता के दौरान जमात रजा मुस्तफा के उपाध्यक्ष सलमान हसन खां, मुफ्ती शहजाद रजा, आला हजरत ट्रस्ट के मोहतशिम रजा खां मौजूद रहे।

बरेली, सोमवार
9 अप्रैल 2018
नगर संस्करण
मूल्य ₹ 4.00
पृष्ठ 18

**दैनिक जागरण**

www.jagran.com उत्तरप्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और प. बंगाल से प्रकाशित

दलबदलुओं को तरजीह से बढ़ी भाजपा की मुश्किलें } 8 राहुल की आंधी में उड़ी दिल्ली } 17

# बड़ी मस्जिदों में नमाजियों के आगे से गुजरना गुनाह

**जागरण संवाददाता, बरेली :** उन सभी बड़ी मस्जिदों में जहां, एक साथ हजारों-लाखों की तादाद में इबादतगार नमाज अदा करते हैं, वहां नमाज पढ़ रहे नमाजियों के आगे से गुजरना सख्त गुनाह है। हां, सजदे की जगह छोड़कर बाहर से निकलने की इजाजत है। दरगाह आला हजरत के इस्लामिक स्टडी सेंटर (जमिआतुर्रजा) में जारी शरई काउंसिल ऑफ इंडिया के 15वें सालाना फिक्ही सेमिनार में रविवार को उलमा-ए-कराम ने शरीयत की रोशनी में यह निर्णय दिया है।

उन्होंने बताया कि सऊदी अरब की मस्जिद हरमे शरीफ और मस्जिदे नबवी में नमाज पढ़ रहे नमाजियों के आगे से गुजरना सख्त गुनाह है। यह फैसला अब देश-दुनिया भर की सभी बड़ी मस्जिदों पर लागू होगा। दरअसल, हज के दरम्यान मस्जिदे हरमे शरीफ और मस्जिदे नबवी में एक साथ लाखों की तादाद में लोग नमाज अदा करते हैं। भारी भीड़ की वजह से इबादतगार नमाजियों के आगे से भी गुजर जाते हैं। इस मसले को उलमा-ए-कराम ने काउंसिल में बहस के लिए रखा। निष्कर्ष निकला कि सजदे की जगह यानी नमाजी जिस जगह पर सजदा करते हैं, वहां से निकलने की इजाजत नहीं है। सजदे भर का स्थान छोड़कर निकल सकते हैं। जमात रजा ए मुस्तफा के उपाध्यक्ष सलमान हसन खां कादरी ने बताया कि इस फैसले की कॉपी देशभर के सुन्नी बरेलवी दारुल इफ्ता में पहुंचाई जाएगी।

## मुस्लिमों को नसीहत

- शरई काउंसिल ऑफ इंडिया के 15वें सालाना फिक्ही सेमिनार में आया उलमा का फैसला
- देश-दुनिया की बड़ी मस्जिदों में सजदे की जगह छोड़कर गुजरने की इजाजत

## छोटी मस्जिदों में यह नाजायज

उलमा-ए-कराम ने अपने फैसले में कहा है कि छोटी मस्जिदों में बिना किसी आड़ के अंदरूनी दीवार (किबला) तक नमाजी के आगे से गुजरना नाजायज है। दरअसल शहर-कस्बा और गांवों की मस्जिदों में भी अक्सर लोग नमाज पढ़ रहे शख्स की सफ (पंक्ति) छोड़कर आगे से गुजर जाते हैं।

## हुजूर ताजुश्शरिया ने लगाई मुहर

देशभर से जुटे सुन्नी मसलक के करीब सौ उलमा के बीच इस मुद्दे पर बड़ी बहस चली। शरीयत की रोशनी में तर्क रखे गए। शहर काजी मुफ्ती असजद रजा खां ने यह फैसला जानशीन मुफ्ती आजमे हिंद, मुफ्ती अख्तर रजा खां उर्फ अजहरी मियां को पढ़कर सुनाया। अजहरी मियां ने इसकी तस्दीक की है।

बरेली, रविवार
8 अप्रैल 2018
नगर संस्करण
मूल्य ₹ 5.00
पृष्ठ 24+4 =28

दैनिक जागरण

www.jagran.com
उत्तरप्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, विहार, झारखंड, पंजाव, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और प. वंगाल से प्रकाशित

बदायूं में आंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त की } 10
हरीतिमा से लौटेगा सदानीरा का स्वरूप : योगी } 11

# इस्लाम में नाजायज है डिजिटल करेंसी

**जागरण संवाददाता, बरेली** : दरगाह-ए-आला हजरत के मदरसा इस्लामिक स्टडी सेंटर (जामिआतुर्रजा) में शरई काउंसिल ऑफ इंडिया के 15वें सालाना फिक्ही सेमिनार में मुफ्ती-ए-कराम ने डिजिटल करेंसी (मुद्रा) को इस्लाम में नाजायज करार दिया है। शरीयत की रोशनी में हुई व्यापक बहस और मंथन के बाद उलमा ने साफ किया है कि ऐसी मुद्रा जिस पर हुकूमत और बैंकों का अख्तियार न हो, मुसलमानों के लिए उसका इस्तेमाल करना जायज नहीं है।

डिजिटल करेंसी में सबसे बड़ा नाम बिट क्वाइन का है। पिछले तीन-चार सालों में दुनिया भर में इसका चलन तेजी से बढ़ा है। मोटा मुनाफा देखते हुए लोग बिट क्वाइन की खरीद-फरोख्त में जुटे हैं। इसी तरह वनक्वाइन का चलन भी एशिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका समेत भारत में भी पैर पसार रहा है। ये दोनों मुद्राएं क्रिप्टोकरेंसी हैं, जिनका उपयोग किसी बैंक से नहीं होता है। बल्कि ऑनलाइन बाजार में इस मुद्रा का रुतबा है। मुनाफे के चक्कर में कोई मुसलमान इसमें न फंसे, इसलिए उलमा ने इसके इस्तेमाल का शरई हुक्म तलाशा। शुक्रवार रात करीब सौ उलमा के बीच डिजिटल करेंसी पर बहस हुई। शरीयत के हवाले से दलीलें दी गईं। आखिर में यह निष्कर्ष निकला कि ऐसी कोई मुद्रा जो भौतिक वजूद में नहीं है, मुसलमानों के लिए वो नाजायज है। शहर काजी मुफ्ती असजद रजा खां, जामिया अंजदिया (घोसी) के अल्लामा जियाउल मुस्तफा कादरी, मुफ्ती शमशाद अहमद, मुफ्ती अख्तर हुसैन, मुफ्ती शहजाद आलमगीर, मुफ्ती बहाउल मुस्तफा आदि उलमा-ए-कराम बहस में शरीक रहे। जमात रजा ए मुस्तफा के उपाध्यक्ष सलमान हसन खान कादरी ने बताया कि डिजिटल करेंसी में बिट क्वाइन, वन क्वाइन नाजायज है। शहर काजी के प्रतिनिधि खलील कादरी आदि मौजूद रहे।

## फिक्ही सेमिनार

- शरई काउंसिल ऑफ इंडिया के सेमिनार में मंथन के बाद उलमा ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय
- तीन मसाइल पर शरई हुक्म तलाशने को जुटे देशभर से करीब सौ उलमा-ए-कराम

### ऑनलाइन, ई-वॉलेट जायज

सेमिनार में ऑनलाइन पेमेंट, ई-वॉलेट, मनी ट्रांजेक्शन एप से रुपयों के लेनदेन को जायज ठहराया गया है। इस तर्क के साथ कि ये सारा धन बैंकिंग सिस्टम से होकर गुजरता है। सरकार, बैंकिंग स्तर पर इसकी निगरानी भी है, इसलिए इसका उपयोग जायज है।

### मुद्रा पर सरकार का अख्तियार

मुफ्ती शमशाद अहमद ने कहा कि डिजिटल मुद्रा पर किसी का बस नहीं है। मान लीजिए आपने बिट क्वाइन खरीदे। अब जो इसे होल्ड किए है वो भाग जाए तो आप अपने रुपये का दावा कहां करेंगे। इसलिए ऐसी किसी मुद्रा को न खरीदें जिस पर सरकार का अधिकार न हो।

## दो मसलों पर फैसला आज

शरई काउंसिल में तीन मसाइल पर मंथन होना है। इसमें डिजिटल करेंसी पर स्थिति साफ हो गई है। अब नीलामी का माल खरीदना शरीयत के लिहाज से कैसा है, इस पर बहस फैसला होना है। इसके अलावा मस्जिदे नबवी में नमाजियों के आगे से गुजरना ठीक या नहीं। इन दोनों मसलों पर रविवार को फैसला आएगा। जानशीन मुफ्ती आजम-ए-हिंद, मुफ्ती अख्तर रजा खां उर्फ अजहरी मियां इन तीनों फैसलों का जायजा कर उस पर अपनी मुहर लगाएंगे।

## करीब सौ उलमा के बीच डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर बहस शुरू

# तीन मसलों पर शरई हुक्म तलाशने को जुटे उलमा

**जागरण संवाददाता, बरेली** : शरई काउंसिल ऑफ इंडिया के 15वें सालाना फिक्ही सेमिनार में उलमा-ए-कराम सुन्नी मुसलमानों के तीन मसलों का शरई हुक्म तलाशने के लिए जुटे हैं।

मथुरापुर स्थित इस्लामिक स्टडी सेंटर (जमिआतुर्रजा) में शुक्रवार रात को पहले दिन डिजिटल करेंसी पर बहस शुरू हुई है। उलमा की बहस के बाद तीसरे दिन यानी आठ अप्रैल को शरीयत की रोशनी में तीनों मुद्दों पर फैसला सुनाया जाएगा। पहला मसला-'डिजिटल करेंसी' के उपयोग का है। शरीयत के मुताबिक उलमा बिट क्वाइन, ऑनलाइन पेमेंट समेत दीगर डिजिटल मुद्रा पर ये राय रखेंगे कि शरीयत के लिहाज से इस मुद्रा का उपयोग सुन्नियों के लिए ठीक है या नहीं। दूसरा मुद्दा है 'मस्जिदे हरम और मस्जिदे नबवी शरीफ में नमाजियों के आगे से गुजरना'। उलमा ए कराम इस पर बहस करेंगे। शरीयत के हवाले से अपना पक्ष रखेंगे कि क्या नमाज पढ़ते वक्त नमाजियों के आगे से गुजरना ठीक है या नहीं।

तीसरा मसला है नीलामी का माल खरीदना। इस पर उलमा शरई पक्ष रखते हुए अपनी दलीलों से यह साबित करेंगे कि यह कितना जायज है या नहीं।

जमात रजा ए मुस्तफा के उपाध्यक्ष सलमान हसन खान कादरी कहते हैं कि मुफ्ती-ए-कराम की बहस शुरू हो गई है। इतवार को शरई फैसले का एलान किया जाएगा।

**इन उलमा की शिरकत** : अल्लामा जियाउल मुस्तफा, मुफ्ती शब्बीर हसन, मुफ्ती शमशाद, मुफ्ती अख्तर हुसैन, मुफ्ती महमूद अख्तर, मुफ्ती सय्यद शाहिद अली, मुफ्ती शहीद आलम, मुफ्ती हबीबुल्लाह आदि मौजूद रहे।

### सुन्नियों से जुड़े अहम मसले चुनते हैं

मौलाना सय्यद अजीमुद्दीन कहते हैं कि उलमा-ए-कराम दुनिया भर में सुन्नियों से जुड़े अहम मसले चुनते हैं। इसके बाद यह तय होता कि शरई काउंसिल में इन पर बहस की जाए। विषय चुनने के बाद उलमा ए कराम को इनकी जानकारी दी जाती है। वे गहन अध्ययन के बाद बहस में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। यहां लगातार तीन दिन तक हर मुद्दे पर बहस होती है। तीसरे दिन जानशीन मुफ्ती आजम-ए-हिंद मुफ्ती अख्तर रजा खां उर्फ अजहरी मियां फैसला सुनाते हैं। इसके बाद शहर काजी मुफ्ती असजद रजा खां इन मसलों के हल का एलान करेंगे।

### हर राज्य से चोटी के उलमा पहुंचे

**जासं, बरेली** : 15वें सालाना फिक्ही सेमिनार में देश के अमूमन सभी प्रदेशों से चोटी के उलमा-ए-कराम पहुंचे हैं। करीब सौ उलमा तीनों मुद्दों पर जारी बहस में हिस्सा लेंगे। इस्लामिक स्टडी सेंटर के शिक्षक मौलाना शहजाद आलम बताते हैं कि इस काउंसिल का फैसला दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों पर लागू होता है। यानी काउंसिल के फैसलों के लिहाज से ही उलमा ए कराम इन मामलों से जुड़े मसाइल पर अपनी राय देते हैं।